

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 99/2022(2022/365)

1. श्रीमती प्रमिला राठौड पत्नी श्री भागीरथसिंह राठौड जाति राजपूत निवासी देवगांव तहसील केकडी हाल निवासी पंचशील अजमेर।
2. श्रीमति सुधा शेखावत पत्नी श्री नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी देवगांव हाल निवासी शास्त्री नगर केकडी जिला अजमेर।
3. श्रीमती अनुश्री नरुका पत्नी श्री यशवन्तसिंह राठौड जाति राजपूत निवासी देवगांव हाल निवासी मास्टर कॉलोनी केकडी।

---प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

--- अप्रार्थी

2. ग्यारसीलाल पुत्र श्री छीतर माली।
3. रामस्वरूप पुत्र श्री मुकना माली  
निवासीगण देवगांव तहसील केकडी जिला अजमेर।

-प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:-

प्रार्थी वकील :- श्री सिद्धार्थ सिंह

पेराकार सरकार :- जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 8.9.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम देवगांव तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी संवत 2073-76 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।


खाता संख्या (नया-पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
20-304	2472	0.08	गै.मु.पाल
	2473	2.35	बा.1
	2474	1.63	बा.1
	2475	0.02	गै.मु.चाह
	2477	1.63	बा.1
	2510	0.81	बा.1
	कुल किता 6	कुल रकबा 6.52	
269-430	2479	2.83	बा.1
	कुल किता 1	कुल रकबा 2.83	

उक्त में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमें प्रार्थीगण ही बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज है प्रार्थीगण का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा हैं । प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के नाम बतोर खातेदार काश्तकार के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा अपने कृषि आराजीयात में सुधार कार्य व तारबंदी करवाना चाहते हैं जिसके लिए खातेदारी से स्थायी पत्थरगढी होकर सीमांकन हो जावे तो खेत पडोस व अन्य खातेदार से किसीप्रकार विवाद नही हो इसलिए प्रार्थीगण अपने कृषि आराजीयात पर पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के कार्यालय में दिनांक 27.1.2022 को उक्त आराजी की स्थायी पत्थरगढी करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का हिस्से अनुसार स्थायी पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है जिससे की अन्य खातेदारो व अन्य पडोसीयो से किसी प्रकार का मौके पर विवाद उत्पन्न नही हो। इसलिए आराजी की स्थायी पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः स्थायी पत्थरगढी कराने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार तहसीलदार केकडी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब टिप्पणी जिसमें बताया संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नही है प्रार्थीगण द्वारा पडोसी खातेदारन को पक्षकार नही बनाया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम देवगांव तहसील केकडी के खाता संख्या नया पुराना 20-304 के खसरा संख्या 2472, 2473, 2474, 2475, 2477, 2510 रकबा 0.08, 2.35, 1.63, 0.02, 1.63, 0.81 हैक्टर, कुल किता 6, कुल रकबा 6.52 हैक्टर व खाता संख्या नया-पुराना 269-430 के खसरा संख्या 2479 रकबा 2.83 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

  
(विकास पंचोली)  
उपखण्ड अधिकारी  
केकडी